

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 429] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 15, 1978/भाद्र 24, 1900
No. 429] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 15, 1978/BHADRA 24, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय
(वाणिज्य मंत्रालय)

आदेश

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1978

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का० आ० 560 (अ)—सं० ई०सी०प्रो० 1977/एएस/70.—आयात-निर्यात (नियंत्रण)
अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय
सरकार एतद्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में आगे संशोधन करने के लिए
निम्नलिखित आदेश की रचना करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) छत्तीसवाँ संशोधन आदेश, 1979 की संज्ञा दी जाए।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में, खुले सामान्य लाइसेंस-3 में क्रम सं० 61 के बाद निम्नलिखित मद जोड़ी जायगी :

1	2	3	4
62.	निम्नलिखित रसायन :		
	(1) ब्युटिल अल्कोहल	}	बी० 49
	(2) ब्युटिल एसिटेट		
	(3) मोनो क्लोरो ऐसीटिक एसिड		
	(4) एसिटिक एसिड		

[मिसिल सं० 35(9)/78-ई० II]

का० वे० शेषाद्री, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & CO-OPERATION

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 15th September, 1978

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. 560(E).—No. E(C)O, 1977/AM(70).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947, (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Thirty-sixth Amendment Order, 1978.
2. In the Exports (Control) Order, 1977, in OGL-3, the following item shall be added after S. No. 61 :—

1	2	3	4
62.	Chemicals the following :—		
	(i) Butyl Alcohol	}	B. 49
	(ii) Butyl Acetate		
	(iii) Mono Chloro Acetic Acid		
	(iv) Acetic Acid.		

[F. No. 35(9)/78-E, II]

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports